



# महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

एम. एस. जे. महाविद्यालय परिसर, भरतपुर - 321001

Ph. No. 05644-220560, Website – [www.msbrjuniiversity.ac.in](http://www.msbrjuniiversity.ac.in)

Email – [affiliation\\_btp@msbrjuniiversity.ac.in](mailto:affiliation_btp@msbrjuniiversity.ac.in)

क्रमांक :- प.3(13)मसूबूवि/सम्बद्धता/2019/102

दिनांक : 22/06/2020

## सशर्त अस्थाई सम्बद्धता-आदेश (2019-20)

प्राचार्य/सचिव  
सम्बन्धित महाविद्यालय,

दिनांक 03.03.2020 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक में निरीक्षण दलों की रिपोर्ट के आधार पर निम्नांकित बी.एड. महाविद्यालय की सम्बद्धता पर विचार किया गया। निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख अंकित कमियों को पूरा करने की शर्त पर सत्र 2019-20 के लिए सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

### सामान्य शर्तें—

1. महाविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. मानकानुसार योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराना होगा।
2. महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब व अन्य आवश्यक प्रयोगशालाओं की सुचारु व्यवस्था होना आवश्यक है।
3. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
4. निर्धारित FDR/Corpus Fund सचिव, कालेज एवं कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के नाम से संयुक्त तथा संचालन (Mode of operation) भी संयुक्त (Joint) होगा, जो कि Original विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
5. महाविद्यालय के स्वामित्व में स्थाई भवन हो।
6. स्टाफ को वेतन बैंक के माध्यम से दिया जावे जिसकी प्रति प्रत्येक तिमाही में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
7. प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं NCTE द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रहेगी।
8. महाविद्यालय संबंधी सूचना AISHE PORTAL पर इन्द्राज किया जाना आवश्यक है।

### बी.एड. महाविद्यालय भरतपुर (सत्र 2019-20)

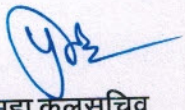
| क्र. सं. | कॉलेज कोड | महाविद्यालय का नाम                                   | आवृत्ति सीट  | निरीक्षण मण्डल की टिप्पणी                                                                                                               |
|----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 204       | चौधरी जगनसिंह एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट, तुहिया, भरतपुर | 100 (2Units) | 1. पुस्तकालय में और जनरल होने चाहिये<br>2. क्लासरूम में पंखे सुचारु नहीं है<br>3. प्रयोगशालाओं में उपकरण कम है<br>4. आडिटोरियम बनवायें। |

अकादमिक काउन्सिल की 18.11.15 की बैठक व 03.03.2020 की BOI की बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर निम्नानुसार शास्ति (Penalties) आरोपित की जायेंगी—

1. ऐसे महाविद्यालय जो अपनी वेबसाइट शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह तक तैयार नहीं करते 5000/-रु।
2. महाविद्यालय द्वारा समय सारिणी, स्टाफ, छात्र संख्या व सभी प्रकार की फीस की जानकारी शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह तक वेबसाइट पर प्रदर्शित न करने पर 500/-रु. प्रतिदिन।
3. शैक्षणिक स्टाफ को दिये जाने वाले वेतन का बैंक विवरण प्रति त्रैमासिक प्रस्तुत न करने पर 5000/- रु प्रति माह।

4. शैक्षणिक स्टाफ एवं प्राचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन की अनुमति शैक्षणिक सत्र के दिसम्बर माह तक न करवाने पर 1000/- रु प्रतिदिन।
5. शैक्षणिक-स्टाफ व प्राचार्य को मूल वेतन यू.जी.सी. के मानदण्डानुसार न देने पर 1000/-रु प्रतिदिन।
6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देने पर छात्रों से वसूल किए जाने वाले शुल्क का 125% व कम से कम 5000/-रु प्रति छात्र।
7. शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह तक बायोमेट्रिक मशीन स्थापित नहीं करने पर 5000/-रुपये।
8. शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की गलत सूचना देने पर 20,000/-रु व यदि विश्वविद्यालय की सूचना प्राप्ति पर भी त्रुटि जारी रहती है तो सम्बद्धता समाप्त करना।

महाविद्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे स्वीकृत की गई सीटों से अधिक पर छात्रों को प्रवेश नहीं दें। अधिक छात्रों को प्रवेश दिये जाने पर उपर्युक्त बिन्दु संख्या 06 लागू करें। उन्हें स्वयंपाठी घोषित कर दिया जायेगा तथा महाविद्यालय पर सम्बद्धता-निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

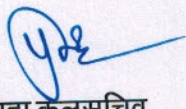
  
सहा.कुलसचिव  
(सम्बद्धता)

क्रमांक :- प.3(13)मसूबूवि/सम्बद्धता/2019/102

दिनांक : 22/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर। इस आशय सहित कि यह सशर्त अस्थायी सम्बद्धता आदेश है तथा यदि महाविद्यालय द्वारा आदेश में अंकित शर्तों की पूर्ति न किये जाने पर इनके विद्यार्थियों का परिणाम घोषित न किया जावे।
3. लेखा शाखा/अकादमिक/स्थापना शाखा विश्वविद्यालय।
4. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
5. रक्षित पत्रावली।

  
सहा.कुलसचिव  
(सम्बद्धता)